

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

पत्रांक-नि.वि.-2/पेंशन अधिवर्षता से0नि0/03/404

दिनांक- 7-7-21

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित खंडीय लेखाकार / खंडीय लेखाधिकारी शासकीय सेवा से 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के उपरान्त अपने नाम के सम्मुख लिखित तिथि से सेवा निवृत्त होंगे ।

क्रमसंख्या	व्यक्तिगत संख्या	नाम	पद	जन्म तिथि	सेवानिवृत्त तिथि
1	845	श्याम बक्स	व.ख.ले.	12-11-1962	30-11-2022
2	758	महेश चन्द्र	व.ख.ले.	01-01-1963	31-12-2022
3	1050	अभय कुमार त्रिपाठी	ख.ले.-1	01-03-1963	28-02-2023
4	878	मदन लाल	व.ख.ले.	11-09-1963	30-09-2023
5	839	सुरेन्द्र कान्त	व.ख.ले.	05-01-1964	31-01-2024
6	774	तेज वीर सिंह	व.ख.ले.	08-03-1964	31-03-2024
7	843	सुरेश कुमार	व.ख.ले.	05-04-1964	30-04-2024
8	956	जानेन्द्र सिंह	ख.ले.-1	25-06-1964	30-06-2024

1. संबन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी /अधिशायी अभियन्ताओ /कार्य अधीक्षकों आदि से अपेक्षा की जाती है कि उनके खण्ड / कार्यालय मे नियुक्त खंडीय लेखाकार / लेखाधिकारी की सेवा पुस्तिका मे अंकित जन्म तिथि को सम्यक रूप से जांच करके देख लें और यदि उक्त सूची के अतिरिक्त अन्य कोई खंडीय लेखाधिकारी माह अगस्त-2022 से जुलाई-2024 तक 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूरी कर रहा हो तो इसकी सूचना पंजीकृत डाक से अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।
2. उपरोक्त सूची मे वर्णित नाम का खंडीय लेखाधिकारी यदि उनके खण्ड कार्यालय मे नियुक्त है तो उनकी सेवा पुस्तिका में अंकित जन्म तिथि का मिलान सूची में अंकित जन्म तिथि से कर ले तथा यदि कोई अन्तर प्रकाश में आये तो उनकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को तत्काल भेजना सुनिश्चित करें ।

3. सेवा निवृत्त होने वाले खंडीय लेखाधिकारियों के पेंशन प्रपत्र इस कार्यालय द्वारा भेजे जायेंगे जिसे 3 प्रतियों में वांछित विवरण भरकर सेवा पुस्तिका सहित इस कार्यालय को भेजना आवश्यक है ।
4. सेवा निवृत्त होने वाले खंडीय लेखाधिकारियों की सेवा का सत्यापन प्राथमिकता के आधार पर समय से कर लिया जाये तथा पेंशन प्रकरण सेवा निवृत्ति से 6 माह पूर्व इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाये । प्रकरण बिलम्ब से अथवा अपूर्ण भेजने पर सेवानिवृत्तिक लाभों के निस्तारण में बिलम्ब होगा ।
5. किसी भी स्थिति में अवकाश नगदीकरण, अनन्तिम पेंशन, उपादान का भुगतान इस कार्यालय की स्वीकृति के बिना न किया जाये ।
6. सेवा निवृत्ति के दिन खंडीय लेखाधिकारियों से इस कार्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रेषित करने की व्यवस्था करें ।

— Sd —
वरिष्ठ उपमहालेखाकार/डी.ए.सी.सी.

पत्रांक-नि.वि.-2/पेंशन अधिवर्षता/ से0नि0/03/ 405, 406

दिनांक- 1-7-21

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. श्रीवरि. खंडीय लेखाधिकारी / खंडीय लेखाधिकारीको इस आशय से प्रेषित कि अपना पेंशन प्रपत्र पूर्ण कर सेवा निवृत्ति के छः माह पूर्व इस कार्यालय को तीन प्रतियों में अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से भेजें ।
2. अधिशासी अभियन्ता / कार्य अधीक्षकको इस आशय से प्रेषित कि माह 8/2022 से 7/2024 तक 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने वाले खंडीय लेखाकारों / खंडीय लेखाधिकारियों की सूची जन्म तिथि सहित इस कार्यालय को अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करें ।

— Sd —
06-07-2024
वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि.वि.-2